12/11/22

पंचायती पेशी पक्षकारान मय अधिवक्ता उपस्थित पक्षकारान ने लोक अदालत में आपका से राजीनामा पेश कर राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री करने का निवेदन किया है। सुना गया। प्रार्थना पत्र राजीनामा का अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उभय के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। और अब कोई विवाद शेष नहीं है जिस कारण मौजा मूंगथला तहसील आबूरोड के खसरा नंबर 1602, 1580/2, 1581 की भूमि में प्रतिवादीगण उभय के साथ वादीगण इन्द्रा कंवर पुत्री मीठु सिंह को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि मौजा मूंगथला के खसरा संख्या 1602, 1580/2, 1581 की भूमि में प्रतिवादीगण उभय के नाम दर्ज 1/5 हिस्से के स्थान पर वादीगण इन्द्रा कंवर व प्रतिवादीगण उभय का प्रत्येक का 1/10, 1/10 हिस्सा दर्ज कर अमल दरामद करावें। डिक्री पंचायती मुताबिक हो।

पंचायती फैसला नंबर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2023.02.13 18:31:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

अध्यक्ष
तालुका विधिक सेवा समिति
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय
आबूरोड, जिला-सिरोही